

## Guidelines for Colleges

- 1) All colleges to ensure and update following by 04-08-2020:
  - a. Courses offered by them along with number of seats
  - b. Subject combinations (if required) with their seats and subject combination fee for B.A, B.A (Hons) and B.Sc streams
  - c. Subject practical fee in respect of remaining streams
- 2) Common weightage as decided in session 2019-20 and common fee structure as decided in session 2018-19 would be applicable for all colleges which are under the ambit of Department of Higher Education, Haryana.
- 3) Colleges to ensure that only online verifications shall be conducted for admissions to 1st Semester of undergraduate classes/ courses.
- 4) Two merit lists will be generated followed by online open counselling.
- 5) For admission cancellation, a student will submit the cancellation request online and the college will ensure to cancel admission of applicants in College ERP. The claim for Fee Refund will only be applicable if the application is submitted in time as per university norms. The fee will be refunded by the College as per university norms.
- 6) If any discrepancy is found in the submitted application due to any reason during the online verification process, the verifier (college) will mark the application as NOT VERIFIED and enter the reason or remarks. An SMS will be sent to the applicant with remarks to clear the objection within 48 hours of receiving the objection. No physical presence will be required to revise/ update the application.

## कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश

- 1) सभी कॉलेजों को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करते हुए इन्हें 04-08-2020 तक अद्यतन (अपडेट) करना है :
  - a. उनके द्वारा दिए जाने वाले कोर्स, सीटों की संख्या के साथ।
  - b. विषय संयोजन (यदि आवश्यक हो) उनकी सीटों के साथ तथा बी.ए., बी.ए. (ऑनर्स) और बी.एससी. संकायों के लिए विषय संयोजन शुल्क के साथ
  - c. शेष संकायों में सम्बंधित प्रैक्टिकल फीस (प्रायोगिक शुल्क)।

- 2) सत्र 2019 -20 में तय किए गए सामान्य महत्व (कॉमन वेटेज) और सत्र 2018-19 में तय किए गए सामान्य शुल्क संरचना (कॉमन फीस स्ट्रक्चर) ही उन सभी कॉलेजों के लिए लागू होंगे जो उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा के दायरे में हैं।
- 3) कॉलेज प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि अंतर स्नातक (अंडर ग्रेजुएट) कक्षाओं व पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन सत्यापन (वेरिफिकेशन) किए जाएं।
- 4) दो मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग होगी।
- 5) दाखिला रद्द करने के लिए विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कॉलेज, ईआरपी में आवेदक के प्रवेश को रद्द करना सुनिश्चित करेगा। शुल्क वापसी के लिए दावा केवल तभी लागू होगा जब आवेदन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार समय पर प्रस्तुत किया गया होगा। कॉलेज द्वारा फीस विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वापस की जाएगी।
- 6) यदि ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कारण से प्रस्तुत आवेदन में कोई विसंगति पाई जाती है, तो सत्यापनकर्ता (कॉलेज) आवेदन पर नॉन-वेरिफ़िड (non-verified) और कारण या टिप्पणी अंकित करेगा। तदोपरांत, आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगी ताकि वह टिप्पणी के साथ आपत्ति को 48 घंटों के अंदर दूर करें। आवेदन में संशोधन / अद्यतन (अपडेट) करने के लिए आवेदक को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी।